रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML–2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 सितम्बर, 2006/8 आश्विन, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 30 सितम्बर, 2006

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–24/2006–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यापाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28–09–2006 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सहकारी

सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 22) को वर्ष 2006 के अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
(सुरेन्द्र सिंह ठाकुर)
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2006

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 सितम्बर, 2006 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (6) और (17) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(6) "सहकारी वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत होगा;

(17) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;"।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार और अन्य व्यक्ति इतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे।"; और

(ख) उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार की किसी भी शक्ति का प्रयोग रजिस्ट्रार की सहायता के लिए उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित आदेश या किया गया विनिश्चय, अपील के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रार का आदेश या विनिश्चय नहीं समझा जाएगा।"।

धारा 31 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 31 में, प्रथम परन्तुक के अन्त में, " : " चिन्ह के स्थान पर "परन्तु प्रबन्ध समिति के निर्वाचन का संचालन करने तथा उप–विधियों का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी :" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 35–आ का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 35–आ की उप–धारा (1) के परन्तुक में ", सिवाय हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी भू–विकास बैंक और हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध परिसंघ (केन्द्र) के जहां तकनीकी व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा" चिन्ह और शब्दों के स्थान पर "या सुसंगत विशिष्ट या तकनीकी अहर्ता रखने वाला अधिकारी नहीं है" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 93 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 93 में,—

(क) उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध अपील विनिश्चय या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर की जाएगी,—

(क) यदि विनिश्चय या आदेश सहायक रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है तो रजिस्ट्रार को या ऐसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार को जो इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किया जाए; या

(ख) यदि विनिश्चय या आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है तो सरकार को; या

(ग) यदि विनिश्चय या आदेश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो रजिस्ट्रार को या ऐसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को जो इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किया जाए।"; और

(ख) उप–धारा (3) में "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर "किसी भी प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 19 of 2006

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2006

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH SEPTEMBER, 2006)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act 1968 (Act No. 3 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2006. Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clauses (6) and (17), the following clauses shall respectively be substituted, namely:— Amendment of section 2.

"(6) "Co-operative year" shall mean the year commencing on the first day of April;

(17) " State" means the State of Himachal Pradesh;".

3. In section 3 of the principal Act,— Amendment of section 3.

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government may appoint a person to be the Registrar of Co-operative Societies for the State and may appoint such number of Additional Registrars, Joint Registrars, Deputy Registrars, Assistant Registrars and other persons, as it may think fit to assist him."; and

(b) after sub-section(3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any power of the Registrar is exercised by any

other person appointed under sub-section (1) to assist the Registrar, the order passed or decision made by such person shall, for the purpose of appeal, not be deemed to be the order or decision of the Registrar.".

Amendment of section 31.

4. In section 31 of the principal Act, in the end of first proviso, for the sign ":" the words and sign "but shall not have the power to conduct election of the managing committee and to amend the bye-laws:" shall be substituted.

Amendment of section 35-B.

5. In section 35-B of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the words and signs "except the Himachal Pradesh State Co-operative Land Development Bank and the Himachal Pradesh State Co-operative Milk Federation where technical persons may be appointed as Managing Directors", the words "or an officer having relevant specialized or technical qualification" shall be substituted.

Amendment of section 93.

6. In section 93 of the principal Act,—

(a) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) An appeal against any decision or order under sub-section (1) shall be made within sixty days from the date of decision or order,—

(a) if the decision or order was made by the Assistant Registrar or the Deputy Registrar, to the Registrar or such Additional Registrar or Joint Registrar as may be authorized by him in this behalf; or

(b) if the decision or order was made by the Joint Registrar, the Additional Registrar or the Registrar, to the Government; or

(c) if the decision or order was made by any other person, to the Registrar or such Additional Registrar, Joint Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar as may be authorized by him in this behalf. "; and

(b) in sub-section (3), for the words "the Registrar", the words "any authority" shall be substituted.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित